



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19381

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन अं./धा. 482 सं. - 5287 वर्ष 2024

शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, सिविल सचिवालय, गृह विभाग,
लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवाक्ता	: राम दास गुप्ता, इंदु प्रकाश सिंह
विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता	: शा.आ., अंशुमान श्रीवास्तव

न्यायालय सं. - 16

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री अंशुमान श्रीवास्तव, और राज्य के विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचीगण ने निम्नलिखित मुख्य प्रार्थना के साथ यह आवेदन दाखिल किया है:

"... यह माननीय न्यायालय धारा 482, दं.प्र.सं. के अधीन याचिका अनुज्ञात करने और न्यायिक

मजिस्ट्रेट (III), अयोध्या के न्यायालय में, धारा 323 भा.दं.सं. के अधीन, आदर्श कुमार श्रीवास्तव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बनाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य के रूप में परिवाद सं. 110/2022 के रूप में लंबित मामले की कार्यवाही, और प्रस्तुत वाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट (III) अयोध्या के न्यायालय द्वारा जारी समन आदेश दिनांक 27.03.2024 को भी निरस्त करने की कृपा करे।"

3. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन दाखिल आवेदन को एक परिवाद के रूप में माना गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के समक्ष धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अधीन एक आवेदन दिनांक 17.08.2021 प्रस्तुत करते समय, एक सुसंगत तथ्य, कि उसने पहले ही 21.01.2021 को पुलिस थाना आशियाना, लखनऊ में उसी घटना के संबंध में प्र.सू.रि. सं. 0038 दर्ज कराई थी, जो 09.01.1991 को लखनऊ स्थित याचीगण के आवास पर घटित हुई थी, छिपाया था। 18.02.2022 को धारा 323, 504 और 506, भा.दं.सं. के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से उस कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा की थी।

4. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि याची की पुत्री, श्रीमती छवि श्रीवास्तव ने, जिसका विवाह विरोधी पक्षकार सं. 2 से हुआ था, विरोधी पक्षकार सं. 2 एवं अन्य के विरुद्ध एक प्र.सू.रि. दाखिल की थी, जो 12/01/2021 को पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कानपुर नगर में धारा 498क, 506, भा.दं.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन वाद अपराध सं. 22/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा दाखिल प्र.सू.रि. और दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अधीन आवेदन, याचीगण की पुत्री द्वारा उसके विरुद्ध दाखिल प्र.सू.रि. के उत्तर में की गई एक उत्तर कार्रवाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। याचीगण की पुत्री श्रीमती छवि श्रीवास्तव और विरोधी पक्षकार सं. 2, आदर्श कुमार श्रीवास्तव के बीच कानपुर नगर न्यायपालिका मध्यस्थता केंद्र में सुलह की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, जिसमें दोनों पक्षकारों के बीच एक समझौता हुआ था। सुलह से संबंधित रिपोर्ट दिनांक 18/08/2023 प्रस्तुत की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ख के अधीन न्यायालय में आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की याचिका दाखिल करने हेतु समझौता प्रस्तुत किया गया था। इसमें यह भी सहमति हुई थी कि दोनों पक्षकार एक-दूसरे के विरुद्ध कोई भी नया वाद दाखिल नहीं करेंगे, और दोनों पक्षकारों द्वारा दाखिल सभी पुराने वाद वापस लिए जाएंगे।

5. अग्रेतर कहा गया है कि धारा 13ख के अधीन दाखिल वाद का निस्तारण आदेश दिनांक 11/02/2025 द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह आपसी समझौते के आधार पर विघटित कर दिया गया है। याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11/02/2025 की एक फोटोप्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

6. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि आदेश दिनांक 11/02/2025 का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पति और पत्नी अब अलग हो चुके हैं और वे पृथक् रूप से रह रहे हैं। पति द्वारा ₹ 5 लाख की स्थायी निर्वाह-व्यय राशि भी क्षी दी गयी है। याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब पति और पत्नी अलग हो चुके हैं और न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से पृथक् रूप से रह रहे हैं, तो कार्यवाही जारी रखना एक निरर्थक कार्य होगा। इसलिए, पूरी कार्यवाही अपास्त की जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता, श्री अंशुमान श्रीवास्तव ने इस प्रार्थना का विरोध किया है।

8. अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि पति और पत्नी पहले ही समझौते के आधार पर अलग हो चुके हैं; सक्षम न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन 11/02/2025 को एक आदेश पारित किया जा चुका है; पत्नी ने ₹ 5 लाख की स्थायी निर्वाह-व्यय राशि भी स्वीकार कर ली है; वर्तमान कार्यवाही भी इसी कारण से उत्पन्न हुई है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि पत्नी ने अपने ससुराल वालों के विरुद्ध उत्पीड़न और दहेज की मांग को लेकर एक प्र.सू.रि. दर्ज कराई थी, और बदले की भावना से, धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था। जब पत्नी और पति स्थायी रूप से पृथक् रह रहे हैं और भरण-पोषण राशि स्वीकार कर ली गई है, तो यह स्पष्ट है कि बदले की भावना से, धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अधीन, वर्तमान आवेदन, केवल व्यक्तिगत हिसाब-किताब चुकाने के लिए दाखिल किया गया था, याचीगण का मामला भी, माननीय उच्चतम न्यायालय के भजन लाल, 1992 सप (1) एस सी सी 335, वाद (पैरा 102) में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है, इसलिए, विचारण संचालित करना एक निरर्थक कार्य होगा, इसलिए, आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (III), अयोध्या के न्यायालय में भा.दं.सं. की धारा 323 के अधीन लंबित वाद, परिवाद सं. 110/2022, आदर्श कुमार श्रीवास्तव बनाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य, साथ में समन आदेश दिनांक 27.03.2024 और उक्त वाद की सभी परिणामी कार्यवाहियां, एतद्वारा याचीगण-यहां के संबंध में निरस्त की जाती हैं।

मार्च 17, 2026

ए. निगम

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”